अल्पकालीन ई–निविदा आमन्त्रण – सूचना

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या–2145/सैंतीस–2–2024–5(53)/2018 टीसी–3 दिनांकः–22.10.2024 में उल्लिखित बड़े गौवंश को औसत 03 कि0ग्रा0 साईलज आधार मानते हुए वर्तमान में जनपद हापुड़ के विकास खण्ड गढमुक्तेश्वर के गौवंश आश्रय स्थलों पर संरक्षित 583 गौवंश हेतु 03 कि0ग्रा0 प्रतिदिन के हिसाब से एक वर्ष हेतु लगभग 1750 मी0टन साईलेज(मक्का) एवं भूसा की आवश्यकता आंकलित की गई है। जिसके क्रम में मुख्य विकास अधिकारी, हापुड़ कार्यालय के पत्रांकः–213/भूसा/साईलज/ई–टेण्डर/2026–27 दिनांक 06.05.2026 के द्वारा समस्त गौवंशों के भरण पोषण हेतु साईलेज,/भूसा आदि को समान दर पर क्रय हेतु ई–टेन्डर कराने के निर्देश दिये गये है।

विकास खण्ड गढमुक्तेश्वर के गौ आश्रय स्थलों पर संरक्षित गोवंश के भरण पोषण में साईलेज व भूसा उपयोग व क्रय करने हेतु ऑनलाईन http:/etender.up.nic.in के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है तथा निविदा प्रपत्र भी उक्त वेबसाईट http:/etender.up.nic.in से निर्धारित तिथि तक डाउनलोड किये जा सकते है। जमानत राशि किसी भी नेशनल बैंक की शाखा में एफ0डी0आर0 के माध्यम से जमा की जा सकती है, जो खण्ड विकास अधिकारी, गढमुक्तेश्वर के पक्ष में बन्धक हो। ऑनलाईन निविदा **दिनांक 26.05.2026** को अपरान्ह 02.00 बजे पर खोली जायेगी। विस्तृत शर्ते विवरण एवं निविदा प्रपत्र वेबसाईट http:/etender.up.nic.in पर देखे जा सकते है।

क्र0 सं0	वस्तु	विभागीय सत्यापन के आधार पर गौवंश की संख्या	मात्रा प्रति गौवंश प्रतिदिन	कुल अनुमानित मात्रा (कु0)	अनुमानित दर/कुन्तल	कुल अनुमानित धनराशि रु0 में
1	साइलेज	583	3 कि0ग्रा0	1750 कु0	400	700000.00
2	भूसा	583	3 कि0ग्रा0	1750 कु0	500	875000.00
					योगः–	1575000.00

नियम व शर्तेः–

1. साईलेज का उपयोग विकास खण्ड में उन परिस्थितियों में किया जायेगा जब हरे–चारे की अनुपलब्धता हो। वित्तीय वर्ष 2026–27 में अनुमानित रुप से लगभग 1750 कुन्तल साइलेज की आवश्यकता होगी। ई–निविदा का अनुमानित मूल्य रु–1575000.00/– (पन्द्रह लाख पच्हत्तर हजार रूपये मात्र) है। ई–निविदा हेतु धनराशि रु–45000/– (रू0 पैंतालीस हजार मात्र) का बैंकड्राफ्ट/एफ.डी.आर. ई.एम.डी. के रुप में, जो खण्ड विकास अधिकारी, गढमुक्तेश्वर के नाम से होगा, उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त ई–निविदा पपत्र का मूल्य रु–7500+18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय होगा। निविदा प्रपत्र नॉन रिफन्डेबल है। ई.एम.डी. एवं निविदा प्रपत्र की धनराशि ई–निविदा खोलने से पूर्व कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी गढमुक्तेश्वर के जिला सहकारी बैंक लि0 गढमुक्तेश्वर खाता संख्या–000721000003992, आई0एफ0एस0सी0 कोड़–ZSBL0000071 में जमा करनी होगी। बिना ई.एम.डी. एवं निविदा मूल्य के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। यू.पी. प्रोक्योर मेन्टमैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफगुड्स 2016) में निहित व्यवस्थानुसार एम.एस.एम.ई. इकाईयों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ई.एम.डी. से छूट प्रदान की जायेगी।
2. सशर्त ई–निविदा स्वीकार नहीं होगी।
3. ई–निविदा दो भागों में विभक्त होगीः–

अ) तकनीकी ई–निविदा :–तकनीकी ई–निविदा में फर्म कोई एम.डी., जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति, विगत तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष–2023–24, 2024–25 एवं 2025–26) का आयकर विवरण, पैनकार्ड की छायाप्रति, तीन वर्ष का अनुभव प्रमाणपत्र/कार्यपूर्ति आदेश की प्रति एवं रु. 100/– के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर घोषणा उपलब्ध करानी होगी कि उनकी फर्म को किसी भी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है, उनकी फर्म को दिवालिया घोषित नहीं किया गया है तथा उनका कोई आपराधिक चरित्र नहीं है इसके अतिरिक्त उनका कोई सगा सम्बन्धी विभाग में कार्यारत नहीं है व ई–निविदा की समस्त नियम एवं शर्तें उनको सहर्ष स्वीकार हैं। फर्म का विगत 03 वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर CA द्वारा प्रमाणित UDIN के साथ निविदा की अनुमानित लागत का न्यूनतम 40 प्रतिशत रू0–280000/– (रू0 दो लाख अस्सी हजार मात्र) होना चाहिए। उपरोक्त सभी अभिलेख मुहर सहित हस्ताक्षरित पठनीय एवं प्रिन्ट योग्य दशा में स्कैन कर के ई–टेण्डर वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। तकनीकी बिड में सफल घोषित होनेपरवित्तीय बिड खोली जायेगी। यू.पी. प्रोक्योर मेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) में निहित व्यवस्थानुसार एम.एस.एम.ई. इकाईयों कोई.एम.डी., टर्नओवर एवं अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से छूट प्रदान की जायेगी। यह छूट उत्तर प्रदेश में पंजीकृत इकाईयों को उपायुक्त उद्योग से प्रमाणित एम.एस.एम.ई. प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्रदान की जायेगी।

ब) वित्तीय ई–निविदा :–वित्तीय ई–निविदा में फर्म को साइलेज की न्यूनतम दर ई–टेण्डर वेबसाइट पर बी.ओ.क्यू. के रुप में अपलोड करनी होगी। दर प्रति कु0 अपलोड करनी होगी।

4. ई–निविदा दाता द्वारा साइलेज की दर वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु उपलब्ध करायी जायेगी जो दिनांक 31–03–27 तकमान्य होगी। विशेष परिस्थिति में दर अनुबन्ध को तीन माह तक बढाने का अधिकार जनपद स्तरीय मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति की संस्तुति पर होगा।
5. निर्धारित तिथि व समय तक प्राप्त ई–निविदाओं को उपस्थित ई–निविदा दाताओं अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि के समक्ष क्रय समिति द्वारा खोला जायेगा। सर्वप्रथम तकनीकी ई–निविदा खोली जायेगी जिसमें सफल होने पर वित्तीय ई–निविदा खोली जायेगी। क्रय समिति द्वारा न्यूनतम दरों को स्वीकार किया जायेगा।
6. सफल ई–निविदा दाता कोई–निविदा के कुल मूल्य की अनुमानित लागत की 05 प्रतिशत की धनराशि जमानत राशि के रुप में 15 दिवस के अंदर जमा करनी होगी। जमानत राशि एफ.डी.आर. के रुप में खण्ड विकास अधिकारी गढमुक्तेश्वर के पक्ष में बंधक रखनी होगी। यदि निर्धारित अवधि में जमानत राशि जमा नहीं करायी जाती है तो ई.एम.डी. की धनराशि राजकीय हित

में जब्त कर लिया जायेगा। फर्म को रु. 100 के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा। अनुबंध के असफल होने की दशा में जमानत राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

7. क्रय समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये ई–निविदा को निरस्त कर दे।
8. वित्तीय निविदा में प्राप्त दर सामान्य बाजार भाव से अधिक होगीं तो एल–1 से नेगोशियेशन किया जायेगा।
9. खण्ड विकास अधिकारी गढमुक्तेश्वर द्वारा केवल दर अनुबन्ध किया जायेगा।
10. साईलेज आपूर्ति के क्रय आदेश निर्गत करने एवं उसके सापेक्ष भुगतान विकास खण्ड गढमुक्तेश्वर के संबंधित गौआश्रय संचालन समिति/सचिव द्वारा किया जायेगा। इस प्रक्रिया में खण्ड विकास अधिकारी गढमुक्तेश्वर/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी की कोई भूमिका नही है। संबंधित अधिकारियों द्वारा केवल पर्यवेक्षण किया जायेगा।
11. केवल मूल्य संदर्भ के लिये टेण्डर लगाना और टेण्डर खुलने के बाद बाहर मैनुअल/ऑफलाइन क्रय आदेश जारी करना निषिद्ध है। क्रेताओं को टेण्डर परिणाम के आधार पर विक्रेता को सीधे कोई मैनुअल ऑफलाइन अनुबंध करने की अनुमति नही है। इसके अलावा क्रेता द्वारा प्रति नग वस्तु/सेवा का टेण्डर जारी करना तथा टेण्डर खुलने के बाद विक्रेता से सीधे कुल मात्रा का मैनुअल/ऑफलाइन अनुबंध करना भी निषिद्ध है।

आपूर्ति:–

1. साईलेज व भूसा के तौल की कम्प्यूटर राईज पर्ची फर्म द्वारा उपलब्ध करानी होगी। तौल पर्ची का व्यय का फर्म को करना होगा। विकास खण्ड में संचालित अस्थाई गोवंश आश्रय स्थल समिति की मांग के अनुसार उनके द्वारा क्रय आदेश निर्गत किया जायेगा। क्रय आदेश के सापेक्ष गोवंश आश्रय स्थल को फर्म द्वारा साइलेज व भूसा की आपूर्ति (मय लोडिंग एवं अनलोडिंग) करते हुए बीजक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। आपूर्तित साइलेज व भूसा की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व संबंधित का होगा। गुणवत्ता सही होने पर संचालन समिति द्वारा उसका भुगतान फर्म को किया जायेगा।
2. आपूर्ति अधिकतम दो दिवस के अन्दर करनी अनिवार्य होगी। आपूर्ति के अभाव में यदि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो फर्म के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
3. साईलेज का क्रय केवल हरा–चारा अनुपलब्धता (लीन अवधि) की स्थिति में किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में फर्म का कोई भी दावा उपलब्ध नहीं होगा।

भुगतान:–

साइलेज व भूसा की आपूर्ति का भुगतान क्रय आदेश निर्गतकर्ता संबंधित अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल/वृहद गोसंरक्षण केन्द्र के संचालनकर्ता/समिति द्वारा उपलब्ध बजट/धनराशि के सापेक्ष किया जायेगा। भुगतान में देरी के कारण फर्म को किसी प्रकार की ब्याज/पेनाल्टी अथवा अन्य कोई भुगतान अलग से देय नहीं होगा।

गुणवत्ता:–

साइलेज व भूसा की आपूर्ति प्राप्त करते समय गुणवत्ता का पर्यवेक्षण किया जायेगा। यदि साइलेज व भूसा अधोमानक प्रतीत हुआ तो आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपने व्यय पर वापस लेना होगा। साइलेज व भूसा में किसी प्रकार के हानिकारक पदार्थ, धूल, बाहरी तत्व जैस लोहे के टुकडे आदि नहीं होने चाहिए।

अन्य शर्तें:–

यदि आपूर्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो नियमानुसार जनपद स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति के निर्णय के माध्यम से निपटारा किया जायेगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा। किसी प्रकार के विधिक प्रकरण में न्याय क्षेत्र जनपद हापुड़ होगा।

खण्ड विकास अधिकारी,
गढमुक्तेश्वर(हापुड़)।

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, गढमुक्तेश्वर(हापुड़)।

पत्रांक:– 680 /लेखा–क्षे0पं0–ई0नि0/2026–27 दिनांक:– 12-5-26

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी महोदया, हापुड़।
2. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी महोदय, हापुड़।
3. उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, गढमुक्तेश्वर।
4. पत्रावली हेतु।

खण्ड विकास अधिकारी,
गढमुक्तेश्वर(हापुड़)।

Signature Not Verified

Digitally signed by SOHAN LAL
Date: 2026.05.12 17:15:48 IST
Location: Uttar Pradesh-UP